फा.सं0 12012/03/2015-राभा(नीति)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली सिटी सेंटर-2 बिल्डिंग,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक 22 अप्रैल, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केंद्र सरकार के कार्मिकों को सरकारी काम हिंदी में करने में दक्ष बनाने हेतु अभ्यास आधारित नया पाठ्यक्रम "पारंगत" लागू किए जाने के बारे में ।

संसदीय राजभाषा समिति के 7वें प्रतिवेदन के सिफारिश संख्या 16.7 (क) पर पारित राष्ट्रपति आदेश के अनुपालन में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयो/विभागों तथा उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक/स्वायत: निकायों/उद्यमों/अभिकरणों/निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में कार्यरत हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्मिकों को सरकारी कामकाज हिंदी में करने में दक्ष बनाने हेतु अभ्यास पर आधारित पाठ्यक्रम 'पारंगत' लागू करने का निर्णय लिया गया है ।

2. यह पाठ्यक्रम वित्तीय वर्ष 2015-16 से लागू किया जाएगा । इसकी कक्षाएं कार्यालय समय में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग द्वारा संचालित की जाएंगी ।

3. **पात्रता:-**

केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयो/विभागों तथा उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/उद्यमों/अभिकरणों/निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त सभी कार्मिक पारंगत पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु पात्र होंगे ।

4. **पाठ्यक्रम की विषय वस्तु:**

I "पारंगत' पाठ्यक्रम मुख्यत: अभ्यास आधारित होगा जिसमें कुल प्रशिक्षण समय का 80 प्रतिशत समय अभ्यास के लिए एवं 20 प्रतिशत समय सैद्धांतिक पाठ्यक्रम चर्चा के लिए निर्धारित होगा ।

II पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों पर केंद्रित पाठ होंगे -:

1. प्रशासन 2. वित्त 3. बैंकिग 4. विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी
5. पारिभाषिक शब्दावली ।

5. यह पाठ्यक्रम केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दो व्यवस्थाओं के अंतर्गत चलाया जाएगा ।

i. प्रथम व्यवस्था में यह कार्यक्रम गहन रूप से 20 कार्यदिवसों (160 घंटे) में पूरा होगा ।

ii. द्वितीय व्यवस्था में इस कार्यक्रम में प्रतिदिन 1 घंटा अथवा एकांतर दिवसों में 1.5 घंटे की कक्षाएं होगी । इस व्यवस्था में यह पाठ्यक्रम 5 माह में पूरा होगा ।

पाठ्यक्रम संबंधी कैलेंडर केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी किया जाएगा ।

6. परीक्षा:

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत परंपरागत आधार पर परीक्षा ली जाएगी ।

पूनम जुनेजा

(पूनम जुनेजा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को इस अनुरोध के साथ कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को अपने सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक/स्वायत: निकायों/उद्धमों/अभिकरणों/निगामें और राष्ट्रीयकृत बैंकों के ध्यान में लाएं ।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली ।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
5. नीति आयोग, नई दिल्ली ।
6. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
7. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली ।
8. गृह मंत्रालय और राजभाषा विभाग के सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय ।
9. सभी संघराज्य क्षेत्र ।
10. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग/डेस्क ।
11. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
12. सचिव (राजभाषा) जी के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।
13. संयुक्त सचिव (राजभाषा) जी के निजी सचिव ।
14. अतिरिक्त प्रतियां (20)